राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 67/2018 दायरा दिनांक 24-06-2018

पीठासीन अधिकारी
श्री ओमप्रकाश वर्मा
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

राजस्थान सरकार बनाम पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी

प्रार्थी.................

बनाम

खेराजराम पुत्र हीराराम आदि जाति जाट नि. जसरासर

अप्रार्थी.............

निर्णय दिनांक 30.08.2018

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है, पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अप्राथीगण खेराजराम, हनुमानराम, प्रभुराम, श्रवणराम पुत्रगण हीराराम जाति जाट नि. जसरासर ने रोही ग्राम शिवपुरी के खसरा नं. 667 व 1053/666 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 6 एवं 81.09 बीघा भूमि में से 0.02 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। अप्राथीगण को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। अप्राथीगण नीयत तारीख पेशी दिनांक 27.08.2018 को अनुपस्थित । पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय किया गया।

प्त्रावली का अवलोकन करने एवं पटवारी पटवार मण्डल कातर छोटी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट नकल एक्स, जमाबन्दी व पी 14 से स्पष्ट है कि अप्राथीगण खेराजराम, हनुमानराम, प्रभुराम, श्रवणराम पुत्रगण हीराराम जाति जाट नि. जसरासर ने रोही ग्राम शिवपुरी के खसरा नं. 667 वं 1053/666 किस्म गै. मु. गोचर रकबा 6 एवं 81.09 बीघा भुमि में से 0.02 बीघा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। नियमानुसार अप्राथीगण को अतिकमी घोषित किया जाता है और भू0अ0 निरीक्षक कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमियों को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी पटवार हल्का कातर छोटी को आदेशित किया जाता है कि आप अप्राथीगण से शरह पड़ता लगान ग्राम शिवपुरी 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिकमित भूमि 0.02 बीघा की राशि 05/– पॉच रूपये वूसल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनशिचित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार बीदासर

उक्त मांगकायमी रा.ले. की पृष्ठ
सं. 25 पर ली गई है